

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय:— विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आगामी खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम को आवश्यक क्रियाशील पूँजी 12000.00 करोड़ (बारह हजार करोड़) रुपये के विरुद्ध कुल 9600.00 करोड़ (नौ हजार छः सौ करोड़) रुपये की ऋण राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों, यथा, व्यावसायिक बैंक/नाबार्ड आदि से प्राप्त किए जाने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम में धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम माह नवम्बर से प्रारंभ होकर अगले वित्तीय वर्ष के माह अगस्त तक प्रायः संचालित होता है। कृषि विभाग से खाद्यान्नों की उपज से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम लक्ष्य की मात्रा को निर्धारित करते हुए विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों से क्रय करने की जिम्मेवारी प्राथमिकी कृषि साख समितियों (पैक्स)/व्यापार मंडलों की है। पैक्स एवं व्यापार मंडलों के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध क्रय किये गये धान के समानुपातिक तैयार सी0एम0आर0 की मात्रा को राज्य के नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के अधिसूचित संग्रहण केन्द्रों पर जमा किया जाता है। नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के संग्रहण केन्द्रों पर पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा जमा किये गये खाद्यान्नों की मात्रा एवं गुणवत्ता जाँच किये जाने के पश्चात बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सभी आनुषांगिकों मदों को जोड़कर निश्चित समय-सीमा में ऑनलाईन भुगतान किया जाता है, ताकि पैक्स/व्यापार मंडलों के लिए स्वीकृत कैश क्रेडिट लिमिट के साथ उक्त राशि का चक्रानुक्रम में उपयोग कर किसानों को 48 घंटों के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

2. गेहूँ एवं धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम नामित है एवं अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए क्रियाशील पूँजी के



रूप में एक बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से 12,000 हजार करोड़ रुपये की राजकीय गारंटी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को प्रदान की गई थी। कुल प्राप्त राजकीय गारंटी के विरुद्ध 10,350 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग निगम द्वारा रबी तथा खरीफ मौसमों से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति हेतु किया गया है, जिसका पूर्ण भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-26 तक किया जाना है। उल्लेखनीय है कि विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित कॉस्ट शीट के अनुसार अधिप्राप्ति कार्य में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को प्रत्येक माह में उपलब्ध करायी जाती है।

3. इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या - 1267, दिनांक 18.07.2025 के द्वारा राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण एवं गारंटी मोचन निधि से संबंधित स्कीम की स्वीकृति संसूचित की गई है, जिसमें अंकित है कि -

(i) राज्य सरकार योजना/परियोजना हेतु कुल ऋण के 80 प्रतिशत से अधिक के लिए प्रत्याभूति (Guarantee) प्रदान नहीं कर सकती है।

(ii) राज्य सरकार नया गारंटी देने के बदले गारंटी शुल्क वसूल करेगी, जो प्रस्तावित ऋण का 0.25% होगा।

(iii) साथ ही, पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष ऋण का 0.25% गारंटी शुल्क के रूप में भी वसूल की जायेगी।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक अ0पा0-32/2023-591/वि0, दिनांक 05.08.2025 के अनुसार वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या - 1267, दिनांक 18.07.2025 के द्वारा निर्धारित गारंटी शुल्क 0.25% के दर से निगम मुख्यालय का गत वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत 31 मार्च, 2025 तक बकाये मूलधन 7076.68 करोड़ रुपये पर गारंटी शुल्क 17.6917 करोड़ (सतरह करोड़ उनहतर लाख सतरह हजार मात्र) रुपये तथा इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अद्यतन उपयोग की गई गारंटी के विरुद्ध लिये गये ऋण $10,350.00 - 7076.68 = 3273.32$ करोड़ रुपये पर गारंटी शुल्क 8.1833 करोड़ (आठ करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र) रुपये होता है। इस तरह से राज्य सरकार से स्वीकृत राजकीय गारंटी के विरुद्ध नाबार्ड एवं विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के पक्ष से निर्गत गारंटी के परिप्रेक्ष्य में अद्यतन उपयोग की कुल ऋण राशि 10,350/- करोड़ (दस हजार तीन सौ पचास करोड़ रुपये) मात्र पर उक्त

①

निर्धारित दर 0.25% के आधार पर कुल गारंटी शुल्क के रूप में 17.6917+8.1833 = 25.8750 करोड़ रुपये अर्थात् 25,87,50,000 /— (पच्चीस करोड़ सतासी लाख पचास हजार) रुपये मात्र के गारंटी शुल्क का भुगतान कोषागार चालान के माध्यम से राज्य सरकार के समेकित निधि में किया गया है।

4 बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में गत वर्ष की आर्थिक लागत के आधार पर आगामी खरीफ विपणन मौसम के लिए 30,15,000 मे0टन सी0एम0आर0 की आर्थिक लागत 40,581 /— (चालीस हजार पाँच सौ इक्कासी) रुपये प्रति मे0टन की दर से 12,235 /— (बारह हजार दौ सौ पैंतीस) करोड़ रुपये की अनुमानित राशि होती है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या — 1267, दिनांक 18.07.2025 के आलोक में उपरोक्त अनुमानित राशि के अनुसार आवश्यक क्रियाशील पूँजी लगभग 12000.00 करोड़ (बारह हजार करोड़) रुपये के विरुद्ध 9600 करोड़ रुपये (मात्र 80%) विभिन्न वित्तीय संस्थानों यथा, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड आदि से ऋण स्वरूप व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। इसकी प्रतिपूर्ति अधिप्राप्ति कार्य में हुए व्यय विपत्रों के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि से की जाएगी।

5 उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के नोडल अभिकरण, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पत्रांक cs/45/2021/3662 दिनांक 12.09.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आगामी खरीफ विपणन मौसम से संबंधित खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों यथा, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड आदि, से क्रियाशील पूँजी के रूप में 12000.00 करोड़ (बारह हजार करोड़) रुपये की ऋण प्राप्ति हेतु राजकीय गारंटी प्राप्त करने पर निदेशक पर्वद की सहमति प्राप्त की गई है।

6 वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को दी जाने वाली राजकीय गारंटी उक्त वित्तीय वर्ष में खरीफ विपणन मौसम से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिए ही मान्य होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 की समाप्ति के पश्चात उक्त राशि संबंधित बैंको को वापस करने की जिम्मेवारी पूर्णतः बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की होगी। उपरोक्त गारंटी वित्तीय वर्ष 2026-27 की समाप्ति तक ही प्रभावी होगी।

7. प्रस्तावित 12,000 /— करोड़ रुपये ऋण के विरुद्ध केवल 9,600 /— करोड़ रुपये (80 प्रतिशत) का राजकीय गारंटी प्रदान/स्वीकृत होने के उपरांत 0.25 प्रतिशत गारंटी शुल्क का भुगतान कोषागार चालान के माध्यम से राज्य



सरकार के समेकित निधि में निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 मार्च, 2026 तक जमा की जायेगी।

8. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में खरीफ विपणन मौसम से संबंधित खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति हेतु विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त किये जाने वाले ऋण की राशि को उस वित्तीय वर्ष के लिए पृथक खाते में संधारित किया जायेगा तथा तत्संबंधी लेखा का भी ब्योरा अलग से संधारित किया जाएगा।

9 बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पत्र संख्या 3736 दिनांक 15.09.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था सम्पन्न करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राजकीय गारंटी के विरुद्ध व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त ऋण तथा उसके विरुद्ध अद्यतन देयता की विवरणी निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :-

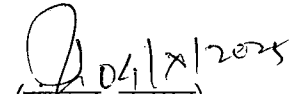
(राशि करोड़ में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राजकीय गारंटी	बैंकों से प्राप्त ऋण राशि	अद्यतन देयता
1	2020-21	6,000	6,000	शून्य
2	2021-22	10,000	10,000	शून्य
3	2022-23	10,000	8700	शून्य
4	2023-24	10,000	10,000	शून्य
5	2024-25	12,000	10,350	10,350

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वित्तीय संस्थानों/ बैंकों से प्राप्त किए गए ऋण के विरुद्ध देयता शून्य है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्त किए गए 12,000 (बारह हजार) करोड़ रुपये के ऋण के परिप्रेक्ष्य में अद्यतन देयता 10,350 करोड़ रुपये शेष है जिसका पूर्ण भुगतान निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंदर कर दिया जाएगा।

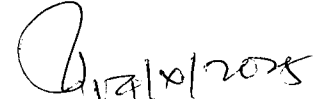
10 अतः विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आगामी खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को आवश्यक क्रियाशील पूँजी 12000.00 करोड़ (बारह हजार करोड़) रुपये के विरुद्ध कुल 9600.00 करोड़ (नौ हजार छः सौ करोड़) रुपये की ऋण राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों, यथा, व्यावसायिक बैंक/नाबार्ड आदि से प्राप्त किए जाने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 03.10.2025 को मद संख्या-112 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या- प्र0-10 विविध-16/2025/14 टि0।

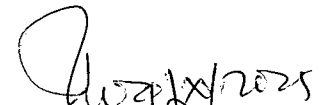

(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव ।

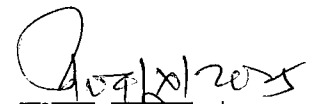
आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।


प्रधान सचिव ।

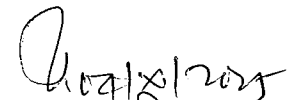
ज्ञापांक -प्र0-10 विविध-16/2025 2636 खाद्य-पटना/दिनांक- 04.10.2025
प्रतिलिपि - ई-गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न) । अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।


प्रधान सचिव ।

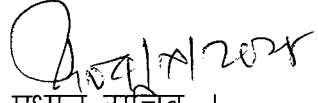
ज्ञापांक -प्र0-10 विविध-16/2025 2636 खाद्य-पटना/दिनांक- 04.10.2025
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।

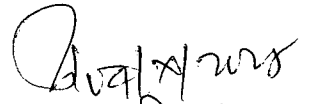
ज्ञापांक -प्र0-10 विविध-16/2025 2636 खाद्य-पटना/दिनांक- 04.10.2025
प्रतिलिपि -सभी जिला के प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।

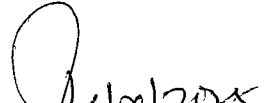
ज्ञापांक -प्र0-10 विविध-16/2025 2636 खाद्य-पटना/दिनांक- 04.10.2025
प्रतिलिपि - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य
भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक -प्र0-10 विविध-16/2025 2636 खाद्य-पटना/दिनांक- 04.10.2025
प्रतिलिपि - मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)/मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)/महाप्रबंधक
(अधिप्राप्ति)/महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम,
खाद्य भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक -प्र0-10 विविध-16/2025 2636 खाद्य-पटना/दिनांक- 04.10.2025
प्रतिलिपि - आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना
को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई-मेल करने हेतु
प्रेषित ।


प्रधान सचिव ।